



कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं०-2116/एस.एल.एस.ए.-68/25 (शुभ/कुलदीप) दिनांक जुलाई 08, 2026 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के आदेश दिनांक 09.07.2026 एवं आदरणीय अध्यक्ष, चयन समिति के आदेश दिनांकित 10.07.2026 के अनुक्रम में 55 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य उम्मीदवारों का सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

मध्यस्थता अधिनियम 2023 की धारा 43(5) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) के रूप में नामित किया जा सकता है:-

- (क) समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति।
- (ख) कोई भी स्थानीय व्यक्ति जिसका समाज में योगदान मान्यता प्राप्त हो।
- (ग) क्षेत्रीय या निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधि।
- (घ) मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
- (ङ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए।

उपरोक्त के अनुक्रम में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है, से सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) के रूप में चयन हेतु आवेदन आहूत किया जाता है।

उपरोक्त के अनुक्रम में इच्छुक व्यक्ति अपने बायोडाटा के साथ आवेदन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के कार्यालय में दिनांक 18.07.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(हरीश कुमार)

प्रभारी सचिव/

अपर जनपद न्यायाधीश-एफ०टी०सी०-प्रथम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलिया।

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन बलिया को सम्बन्धित अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित किए जाने हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, किमिनल बार एसोसिएशन बलिया को सम्बन्धित अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित किए जाने हेतु प्रेषित।
3. समस्त तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति को प्रेषित।
4. दीवानी न्यायालय बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
5. जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
6. जिला सूचना अधिकारी बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वे इस संबंध में सूचना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं स्थानीय समाचार पत्रों) में निःशुल्क प्रकाशन करने का कष्ट करें।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
8. सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, बलिया जजशिप को उक्त सूचना को जिला न्यायालय बलिया के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हरीश कुमार)

प्रभारी सचिव/

अपर जनपद न्यायाधीश-एफ०टी०सी०-प्रथम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलिया।